Most urgent

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/सामान्य/2018 **दिनांक :**

:—परिपत्र—:

प्रायः यह देखा गया है कि चिकित्सक विदेश यात्रा की तिथि से 2—4 दिवस पूर्व ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है एवं तुरन्त विभागीय स्वीकृति हेतु दबाव बनाया जाता है। जिससे नियमित कार्य व्यवस्था प्रभावित होती है।

इस सम्बंध में दिनांक 07.04.18 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नांकित कार्य व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गयाः—

1. चिकित्सक विदेश यात्रा हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर पासपोर्ट की फोटोप्रति एवं स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से विदेश यात्रा की तिथि के 45 दिवस पूर्व निदेशालय को प्रस्तुत करें।
2. उक्त प्राप्त आवेदन पत्र पर निदेशालय द्वारा अधिकतम 10 दिवस में नियमानुसार अनुमति जारी की जायेंगी। प्रकरण 10 दिवस से अधिक अवधि का होने की स्थिति में राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
3. पासपोर्ट आवेदन हेतु प्रपत्र "H" नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से 25 दिवस पूर्व निदेशालय को प्रेषित किया जावे। प्राप्त आवेदन पत्र 7 दिवस में नियमानुसार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के प्रति हस्ताक्षरो के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सक को वापस लौटा दिया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/सामान्य/2018 312 **दिनांक :** 10/4/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (ई.एस.आई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. निदेशक , भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय प्रकोष्ठ राजपत्रित, मुख्यालय।
10. प्रभारी लोकायुक्त/मानवाधिकार प्रकोष्ठ राजपत्रित मुख्यालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।